19/7/23 पत्रावली पेश हुई। अनुलाप उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का साबित नहीं होने से खारीज किया जाता है एवं मूल अपील भी मियाद बाहर होने से खारीज की जाती है। पत्रावली में विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 11:06:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner